संख्या- 88 /2025/ 747 /चार-2025-1885682

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च, 2025**

विषय:- गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थलों पर कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए वास्तविक व्यय की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 5554/सं0नि0-15(32)/2024-25, दिनांक 28 फरवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ शहर के विभिन्न स्थलों यथा- 1090 चौराहा, गोमती नगर, मल्टीलेवल पार्किंग हजरतगंज, सहारागंज एवं घण्टाघर चौक, लखनऊ में विभाग द्वारा कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों के मानदेय व अन्य व्यवस्थाओं पर निम्नानुसार हुए वास्तविक व्यय की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है:-

1090 चौराहा, गोमती नगर, सहारागंज, अटल चौक, हजरतगंज, एवं घण्टाघर चौक, लखनऊ में हुए कार्यक्रम पर व्यय				
क्र0	कलाकार/ फर्म का नाम	प्रस्तुति स्थल	बिल संख्या/ दिनांक	धनराशि
1	श्री शिवम मिश्रा, लखनऊ	1090 चौराहा	03.02.2025	50,000.00
2	श्री अमित मासे, लखनऊ	सहारागंज	03.02.2025	50,000.00
3	श्री दीपक चौधरी, लखनऊ	मल्टीलेवल पार्किंग, हजरतगंज	03.02.2025	50,000.00
4	श्री मोहन अवस्थी, लखनऊ	घण्टाघर चौक	02.02.2025	50,000.00
5	एस. इन्फो मीडिया प्रा0 लि0, लखनऊ		537/03.02.2025	3,27,521.00
			538/03.02.2025	3,19,653.00
			539/03.02.2025	45,312.00
			540/03.02.2025	4,83,328.00
			541/03.02.2025	3,70,898.00
			542/03.02.2025	17,700.00
योग (रू0 सत्रह लाख चौसठ हजार चार सौ बारह मात्र)				17,64,412.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, संस्कृति द्वारा दिए गए प्रस्तावानुसार दिनांक 26 जनवरी, 2025 को लखनऊ शहर के विभिन्न स्थलों यथा- 1090 चौराहा- गोमती नगर, सहारागंज, अटल चौक (मल्टीलेवल पार्किंग) हजरतगंज एवं घण्टाघर चौक में संस्कृति विभाग द्वारा कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों के मानदेय व अन्य व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय रू0 17,64,412.00 (रू0 सत्रह लाख चौसठ हजार चार सौ बारह मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव -42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in